भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1402

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ

कनेक्टिविटी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव

†1402. श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कनेक्टिविटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बेहतर पंचायत-शहर कनेक्टिविटी के आर्थिक लाभ का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं और रोजगार, व्यापार तथा ग्रामीण विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या चल रही कनेक्टिविटी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ग्रामीण-शहरी एकीकरण को प्रभावित करने वाले विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कनेक्टिविटी परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का पंचायत से शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नई पहलें शुरू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो वित्तपोषण, कार्यक्षेत्र और अपेक्षित परिणामों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) और (ख): जी नहीं, महोदय। पंचायती राज मंत्रालय पंचायत-शहर कनेक्टिविटी सहित किसी भी कनेक्टिविटी परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं करता है।

हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को एक बार के विशेष हस्तक्षेप के रूप में शुरू किया गया था, ताकि ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए हर मौसम में उपयुक्त एकल सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान किया जा सके। बाद में, मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और बस्तियों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के समेकन के लिए पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III नामक नए हस्तक्षेपो /कार्यक्षेत्रों को पीएमजीएसवाई के दायरे में जोड़ा गया था। इसके अलावा, सितंबर 2024 में सरकार ने पीएमजीएसवाई-IV की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य निर्दिष्ट जनसंख्या आकार वाली 25,000 असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम में उपयुक्त सड़क संपर्क प्रदान करना है। वर्तमान में राज्यों द्वारा सर्वेक्षण की गई पात्र बस्तियों के लिए और उनके द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने पर, इस योजना के तहत नई सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आगे बताया है कि नीति आयोग, विश्व बैंक आदि द्वारा पीएमजीएसवाई पर विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच में सुधार किया है, कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान की है, किसानों को बेहतर कृषि मूल्य प्राप्त करने में मदद प्रदान की है आदि, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुआ है। इसने संबद्ध बस्तियों में रहने वाली ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में दीर्घकालिक और निरंतर वृद्धि प्रदान की है।

(ग) और (घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि विकास परिणामों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निकटता से समन्वय कर रहा है और डीपीआर शीघ्रता से जमा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने जून 2026 के महीने में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन का आयोजन किया है,जिसमें सभी हितधारकों की उपस्थिति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीएमजीएसवाई एक विस्तृत चर्चा का विषय रहा है। इसके अलावा, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें और मासिक बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, ताकि प्रगति का जायजा लिया जा सके और कार्यान्वयन प्रक्रिया में किसी भी मुद्दे का समाधान किया जा सके।

(ड़): जी नहीं, महोदय। पंचायत से शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, इस मंत्रालय के द्वारा कोई नई पहल प्रस्तावित नहीं है।
